(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 300–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–12–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन, प्रकरण कमांक 244/अपील/2005–06.

.....

सुजानमल पिता नानालाल महाजन (मृत वारिसान :–)
1–राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0सुजानमल
2–विरेन्द्र पुत्र स्व0सुजानमल
3–ज्ञानचन्द पुत्र स्व0सुजानमल
4–शिल्पा पुत्री स्व0सुजानमल
5–चन्दा पुत्री स्व0सुजानमल
6–अनिता पुत्री स्व0सुजानमल
7–मंजू पुत्री स्व0सुजानमल
8–मन्दु पुत्री स्व0सुजानमल
निवासीगण ग्राम हतनारा तहसील पिपलोदा
जिला रतलाम

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मिश्रीलाल पिता श्री पन्नालाल महाजन (मृत वारिसान :–)
निवासी ग्राम हतनारा
हाल मुकाम नरसिंहपुरा शीतलामाता की गली,
जावरा जिला रतलाम
1–बाबूलाल पिता मिश्रीलालजी धाड़ीवाल
ग्राम नागेश्वर तहसील उन्हैल जिला झालावाड़(राज़स्थान)
2–प्रकाशचंद पिता मिश्रीलाल धाड़ीवाल
निवासी 12 दसेड़ा कालोनी जावरा जिला रतलाम
3–श्रीमती रोशन पति सुजानमल जैन
निवासी ग्राम बड़ेगांव तहसील बड़नगर जिला उज्जैन
4–श्रीमती लीलाबाई पति भैरूलालजी जैन
निवासी अरिहन्त कालोनी जावरा जिला रतलाम
5–श्रीमती कमलाबाई पति मदनलालजी जैन
निवासी रंगरेज गली जावरा जिला रतलाम
6–श्रीमती हमु पति ललीलालजी
निवासी सदर बाजार जीरन जिला नीमच

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक– आवेदकगण

श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1, 3, 4 व 5

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–12–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि सुजानमल द्वारा तहसीलदार पिपलौदा के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत संयुक्त खाते की भूमि ग्राम हतनारा स्थित सर्वे नम्बर 213 रकबा 2.936 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 165 रकबा 2.686 हेक्टेयर के बटवारे हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 11–5–05 को आदेश पारित कर मिश्रीलाल का नाम कम किया गया । सुजानमल द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–2–06 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त 13–12–11 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सुजानमल एवं मिश्रालाल आपस में सगे भाई है और दोनों के बीच समझौता हुआ था जिसमें प्रश्नाधीन भूमि सुजानमल को प्राप्त हुई है अतः तहसीलदार द्वारा मिश्रा लाल का नाम कम करने में वैधानिक एवं उचित

कार्यवाही की गई थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होने पर तहसीलदार को कार्यवाही स्थगित करना चाहिये थी, जबकि व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त नहीं हुआ था । अनुविभागीय अधिकारी अन्यायपूर्ण आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त भी विधि की प्रावधानों की अनदेखी की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त पारित आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1, 3, 4 व 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सुजानमल एवं मिश्रीलाल के संयुक्त खाते की भूमि है और तहसीलदार को किसी का स्वत्व समा करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। स्वत्व के निराकरण का अधिकारी केवल व्यवहार न्यायालय को प्राप्त है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार का आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश होने से उसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा ऋण की राशि का समयोजन किया गया है जिसका क्षेत्राधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है, तहसीलदार के आदेश को देखने से यह भी स्पष्ट है कि बटवारे में उनके द्वारा अभिलिखित भूमिस्वामी का नाम कम किया गया है जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही होकर क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही है क्योंकि बटवारे की कार्यवाही में

सहखातेदार का नाम कम किये जाने का अधिकारी भी तहसीलदार को प्राप्त नहीं है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–12–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर